प्रेषक,

शाकिर हसन,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट,
कोर्ट संख्या-05, फर्रूखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
फर्रूखाबाद।

विषय- शासनादेश संख्या 8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13-04-2018 के आलोक में आवेदक के एल०एल०एम०उपाधि धारक होने के आधार पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर निवेदन है कि मेरा चयन उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में वर्ष 2016 में हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति के अनुसार मैने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के पद पर कार्यभार दिनांक 20-02-2018 को ग्रहण किया है। मेरे द्वारा कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से वर्ष 2005 में एल०एल०एम० की उपाधि ग्रहण की गयी है, जो कि मेरे सेवा में आने से पूर्व प्राप्त की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु एल०एल०एम० उपाधि एवं अंकपत्र वर्ष 2005 की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

महोदय शासनादेश संख्या 8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13-04-2018 के अनुसार ऐसे न्यायिक अधिकारी जो सेवा में आने के पूर्व एल०एल०एम० की उपाधि रखते हैं, उन्हे सेवा मे आने के दिनांक से अथवा शासनादेश लागू होने के दिनांक से, जो भी लागू हो अथवा ऐसे न्यायिक अधिकारी जो सेवा में आने के उपरान्त एल०एल०एम० की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, उन्हे उपाधि प्राप्त करने के दिनांक से 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान की गयी हैं।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार

मुझे एल०एल०एम० उपाधि धारक होने के आधार पर उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा मे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20-02-2018 से 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने हेतु मेरा प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक-02-03-2020

भवदीय

02/03/2020

(शाकिर हसन)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट,

कोर्ट संख्या-05,फर्रूखाबाद।

संलग्नक-

1. कार्यभार ग्रहण करने के प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

2. एल०एम०एम० उपाधि एवं अंकपत्र की छाया प्रति।

3. शासनादेश संख्या 8/ 2018/ 279/ दो-4-2018-45 (12)/ 91 टी.सी. दिनांकित 13-04-2018 की छाया प्रति।

653/I दिनांक 02-03-2020